वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त, 2018-श्रावण 12, शके 1940**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय सिंगरौली विकास प्राधिकरण, जिला सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक 12 जुलाई, 2018

क्र./953/सिविप्रा/स्था/2018.—एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा-50(2) के अंतर्गत सिंगरौली विकास प्राधिकरण वैढ़न में ग्राम बिलौजी, तेलियान, तहसील सिंगरौली में आवंटित शासकीय भूमि खसरा नम्बर 97, 98, 186/1, 186/3, 187/4, 190/2, 192/6, 194/7, 197/4, 198/1 एवं 199/3 कुल रकवा 0.70 हेक्टेयर पर सार्वजनिक/अर्धसार्वजनिक/आवासीय सह व्यवसायिक संयुक्त प्रयोजनों हेतु एकीकृत प्रस्ताव "प्राधिकरण प्लाजा" के निर्माण के आशय की तदानुसार घोषणा करता है.

विकास कुमार सिंह,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(327-बी.)

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित

(अंतर्गत धारा-36 वक्फ अधिनियम, 1995)

फा.क्र.55/आर-शिवपुरी/2018.—वक्फ मदीना मस्जिद बस स्टेण्ड खनियाधाना के पास कस्वा खनियाधाना, जिला शिवपुरी के पंजीयन हेतु श्री मोहम्मद इश्तियाक आ. मुश्ताक अहमद, निवासी साकिन वार्ड नं. 13, व्यापारी मोहल्ला खनियाधाना, जिला शिवपुरी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उक्त संपत्ति के पंजीयन हेतु वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-36 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है. जिस पर विधिवत नोटिस एवं सूचना-पत्र जारी किये गये परंतु निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है. इस प्रकार वक्फ संबंधित आवेदन साक्ष्य व अभिलेखों से प्रमाणित है कि निम्न संपत्ति वक्फ घोषित है. जिसका पंजीयन वक्फ पंजी के अनुक्रमांक 255 पर वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-36 के तहत कर लिया गया है.

वक्फ सम्पत्ति का विवरण

नाम वक्फ	संपत्ति जिसकी प्रविष्टी वक्फ पंजी में की गई है.
वक्फ मदीना मस्जिद बस स्टेण्ड खनियाधाना के पास कस्बा खनियाधाना, जिला शिवपुरी.	पटवारी हल्का नम्बर 25, सर्वे नम्बर 872, 875 रकबा 5100.75 वर्गफिट. पूर्व-मकान मोहम्मद सफी साहब, पश्चिम-धूलिया कुआँ, उत्तर-मस्जिद की खाली भूमि, दक्षिण-रास्ता.

अत: सर्वसंबंधित को सूचित किया जावे.

यूनुस खान,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(328-बी.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है विवाह के पूर्व मेरा नाम कु. सुरेखा मुले पिता स्व. श्री बसंतराव मुले था. मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से 27 जनवरी, 1991 को स्व. श्रीकान्त मुजुमदार के साथ ग्वालियर में सम्पन्न हुआ था. विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती सम्पदा मुजुमदार हो गया है. अत: अब मुझे श्रीमती सम्पदा मुजुमदार पत्नी स्व. श्रीकान्त मुजुमदार के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :
(कु. सुरेखा मुले)

नया नाम :
(सम्पदा मुजुमदार)
एफ-3, श्रेयस संकुल किसान भवन,
विन्चुरकर की गोठ, छत्री बाजार,
लश्कर, ग्वालियर.

(329-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र गुप्ता पिता लक्ष्मीनारायण जी गुप्ता, जाति-पोरवाल, निवासी 14/1, रामटेकरी, सुदामा नगर, मंदसौर का होकर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैं, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शहर शाखा, मंदसौर में लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ, मेरे शिक्षा रिकार्ड में मेरा नाम राजु गुप्ता दर्ज होने के कारण मेरे बैंक के सर्विस रिकार्ड में भी मेरा नाम राजु गुप्ता दर्ज है तथा शेष दस्तावेजों में मेरा नाम राजेन्द्र गुप्ता के रूप में दर्ज है और मैं राजेन्द्र गुप्ता के नाम से ही जाना-पहचाना जाता हूँ इस कारण मैं, अपने बैंक सर्विस रिकार्ड में भी मेरा नाम राजु गुप्ता के स्थान पर राजेन्द्र गुप्ता दर्ज करवाना चाहता हूँ, इसलिये सर्व-साधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आज से मेरे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., मंदसौर में मुझे राजेन्द्र गुप्ता के नाम से जाना-पहचाना जावे. मैं मेरे बैंक के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजु गुप्ता के स्थान पर राजेन्द्र गुप्ता परिवर्तन करने के लिये यह जाहिर सूचना प्रकाशित करवा रहा हूँ.

अत: सर्व-साधारण सूचित हो.

पुराना नाम :
(राजु गुप्ता)

नया नाम :
(राजेन्द्र गुप्ता)
पिता लक्ष्मीनारायण जी गुप्ता,
निवासी-14/1, रामटेकरी, सुदामा नगर,
मंदसौर (म.प्र.).

(330-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सत्येन्द्र कुमार ओझा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र ओझा है जो कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों जैसे-आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि में मेरा नाम सत्येन्द्र कुमार ओझा के नाम से अंकित है तथा मैं सत्येन्द्र कुमार ओझा के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जबकि मेरे पुत्र अनुज ओझा के जन्म प्रमाण-पत्र में मेरा नाम सत्येन्द्र ओझा किया गया है. जिसे सुधार कर मेरा नाम सत्येन्द्र कुमार ओझा किया जाये. सत्येन्द्र कुमार ओझा एवं सत्येन्द्र ओझा एक ही व्यक्ति के नाम है, सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

सत्येन्द्र कुमार ओझा,
हनुमान नगर, शर्मा फार्म रोड़,
चार शहर का नाका, ग्वालियर.

(331-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्रिया टेकवानी सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह दिनांक 18-11-1996 को सिन्धी रीति-रिवाज के अनुसार श्री प्रकाश टेकवानी आत्मज श्री नत्थूमल टेकवानी, निवासी म. नं. 268, न्यू बी-24, सुख सागर, उदासीन आश्रम के पास, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.) के साथ सम्पन्न हुआ था, विवाह के पूर्व का मेरा नाम कु. भगवंती पुत्री श्री विशनदास था, जो कि विवाह के पूर्व के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेज इत्यादि में दर्ज है, सिन्धी रीति-रिवाज के अनुसार विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती प्रिया टेकवानी पत्नि श्री प्रकाश टेकवानी हो गया है. वर्तमान में मैं इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा हस्ताक्षर करती हूँ एवं कु. भगवंती एवं श्रीमती प्रिया टेकवानी दोनों ही मेरे नाम हैं. भविष्य में भी मैं इसी नाम से अर्थात् श्रीमती प्रिया टेकवानी पत्नि श्री प्रकाश टेकवानी के नाम से ही पहचानी जाऊँगी साथ ही मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्र पेनकार्ड, आधारकार्ड, बैंक एकाउन्ट, राशन कार्ड आदि में मेरा नाम श्रीमती प्रिया टेकवानी पत्नि श्री प्रकाश टेकवानी अंकित है. अत: मेरे पूर्व के शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम कु. भगवंती पुत्री विशनदास के स्थान पर श्रीमती प्रिया टेकवानी पत्नि श्री प्रकाश टेकवानी किया जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(कु. भगवंती)

नया नाम :
(प्रिया टेकवानी)
268, न्यू बी-24, सुख सागर बैरागढ़,
भोपाल (म.प्र.).

(332-बी.)

CHANGE OF NAME

I, have changed my name Priyanka Verma D/o Ashok Verma to Priyanka Srivastav W/o Rahul Srivastav.

Old Name:
(PRIYANKA VERMA)

New Name :
(PRIYANKA SRIVASTAV)
Shiva ji Chouk Neemtal,
Vidisha (M.P.) 464001.

(333-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश अहिरवार आत्मज कंछेदीलाल अहिरवार, पता 04 वीरेन्द्र कॉलोनी नियर केशव क्लीनिक नौगाँव, छतरपुर वर्तमान पता-डीके-4/59, दानिश कुंज कोलार रोड, भोपाल है पूर्व में मुझे राजेश अहिरवार आत्मज श्री कन्छेदीलाल अहिरवार के नाम से जाना-पहचाना जाता था. अब मैं राजेश कुमार कश्यप के नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ.

पुराना नाम :
(राजेश अहिरवार)

नया नाम :
(राजेश कुमार कश्यप)

(334-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती गोदाबरी बोहरे पत्नी श्री हरीशंकर बोहरे, निवासी लाईन नम्बर 12, मकान नम्बर 7, बिरला नगर, ग्वालियर में निवास करती हूँ मेरे समस्त दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड में नाम गोदाबरी पत्नी श्री हरीशंकर बोहरे अंकित है जबकि मेरे पति के राशन कार्ड में मेरा नाम श्रीमती गोदाबरी बोहरे पत्नी श्री हरीशंकर बोहरे एवं वोटर कार्ड श्रीमति गोदावरी पत्नी श्री हरीशंकर नाम अंकित है सूचना प्रकाशन उपरांत नाम श्रीमती गोदाबरी बोहरे पत्नी श्री हरीशंकर बोहरे, निवासी लाईन नम्बर 12, मकान नम्बर 7, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.) जाना-पहचाना व पुकारा जावें.

पुराना नाम :
(गोदावरी)
पत्नी-श्री हरीशंकर बोहरे.

नया नाम :
(गोदावरी बोहरे)
पत्नी-श्री हरीशंकर बोहरे.

(335-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, विवेक अग्रवाल आ. स्व. प्रमोद गुप्ता, उम्र 39 वर्ष लगभग, निवासी म. नं. 20, अनंतारा रेजीडेंसी तिलहरी, जबलपुर मध्यप्रदेश शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि .—

1. यहकि मैं उपरोक्त पते पर स्थाई रूप से निवासी हूँ.

2. यहकि मेरे समस्त अंकसूचियों में मेरा नाम विवेक गुप्ता पिता श्री प्रमोद गुप्ता अंकित है.

3. यहकि मैं, अपने उपरोक्त वर्णित नाम को परिवर्तित कर अपना नाम विवेक गुप्ता के स्थान पर विवेक अग्रवाल करना चाहता हूँ.

4. यहकि आज दिनांक से मुझे मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम विवेक अग्रवाल पढ़ा-लिखा एवं जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(विवेक गुप्ता) **(विवेक अग्रवाल)**

(336-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार अथर्व सचदेवा पिता श्री विपुल सचदेवा, निवासी टी-3, राजा परिसर, एम. पी. नगर, भोपाल मध्यप्रदेश का निवासी है एवं उसके कई महत्वपूर्ण निजी एवं शासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश स्वयं का नाम अथर्वा सचदेवा (ATHARVA SACHDEVA) दर्ज हो गया है जो गलत है, जबकि वास्तविक नाम अथर्व सचदेवा (ATHARV SACHDEVA) है.

अत: सर्व-साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का नाम समस्त शासकीय एवं निजी विभाग में अथर्वा सचदेवा (ATHARVA SACHDEVA) के स्थान पर अथर्व सचदेवा (ATHARV SACHDEVA) पढ़ा, समझा एवं वैध रूप से माना जावे एवं वही मेरा पक्षकार का असल नाम है.

अर्पित सक्सेना,
(अधिवक्ता)
300, रचना नगर, भोपाल.

(337-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार आर्यन कुमार जैन पिता श्री आशीष कुमार जैन, निवासी एचआईजी-49, शिवाजी नगर, भोपाल मध्यप्रदेश का निवासी है एवं उसके कई महत्वपूर्ण निजी एवं शासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश स्वयं का नाम आर्यन कुमार (Aryan Kumar) दर्ज हो गया है जो गलत है, जबकि वास्तविक नाम आर्यन कुमार जैन (Aryan Kumar Jain) है.

अत: सर्व-साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का नाम समस्त शासकीय एवं निजी विभाग में आर्यन कुमार (Aryan Kumar) के स्थान पर आर्यन कुमार जैन (Aryan Kumar Jain) पढ़ा, समझा एवं वैध रूप से माना जावे एवं वही मेरा पक्षकार का असल नाम है.

अर्पित सक्सेना,
(अधिवक्ता)
300, रचना नगर, भोपाल.

(338-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पलक अरोरा पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार अरोरा के पूर्व में दस्तावेज उक्त नाम है वर्तमान में मैंने अपना नाम बदलकर प्रेरणा अरोरा पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार अरोरा रख लिया है और भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम : नया नाम :

(पलक अरोरा) **(प्रेरणा अरोरा)**

पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार अरोरा,
डी-80ए, बसंत विहार, सहारा हॉस्पीटल के पास,
मोतीमहल रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

(339-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, विजय कुमार खटीक आत्मज श्री रोहणी प्रसाद खटीक, उम्र लगभग 42 वर्ष, साकिन बुढ़ार, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल मध्यप्रदेश का मूल निवासी हूँ मैं मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद् भोपाल द्वारा पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक हूँ मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों व अन्य प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम विजय कुमार खटीक पिता श्री रोहणी प्रसाद खटीक दर्ज है जिसे परिवर्तित कर उसके स्थान पर मैं अपना उपनाम नायक दर्ज कराना चाहता हूँ. यह कि मेरे गोत्र को "नेक्या एवं नायक" के नाम से जाना जाता है मैं अपने इसी गोत्र नायक के नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ मैं अपने पूर्व नाम विजय कुमार खटीक के स्थान पर विजय कुमार नायक दर्ज कराना चाहता हूँ.

अत: मेरे सभी शैक्षणित दस्तावेजों एवं प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम विजय कुमार नायक दर्ज किया जाये एवं भविष्य में मुझे विजय कुमार नायक पिता श्री रोहणी प्रसाद खटीक के नाम से जाना जाये, पहचाना जाये व लिखा जाये, उक्त जानकारी शपथपूर्वक हस्ताक्षरित कर सत्यापित करता हूँ.

पुराना नाम :
(विजय कुमार खटीक)

नया नाम :
(विजय कुमार नायक)
आत्मज श्री रोहणी प्रसाद,
पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक,
रेल्वे मार्केट सब्जी मण्डी के पास बुढ़ार,
जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) 484110.

(340-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्र कार्तिकेय सोनी (kartikey soni) का नाम बदलकर कार्तिकेय शर्मा (kartikey Sharma) रख लिया है. अत: भविष्य में मेरे पुत्र को कार्तिकेय शर्मा के नाम से जाना-पहचाना जाए. सो विदित होवें.

अरूण शर्मा,
294-ए, डायमंड रेसिडेंसी, फ्लेट नं. 404,
सलीकॉन सिटी, राउ, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(341-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शरद जैन पिता चंदनलाल बंडी था, जिसे बदलकर मैंने शरद कुमार बंडी पिता चंदनलाल बंडी कर लिया है. अत: भविष्य में मुझे इसी परिवर्तित नाम शरद कुमार बंडी पिता चंदनलाल बंडी के नाम से ही जाना और पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(शरद जैन)

नया नाम :
(शरद कुमार बंडी)
पिता चंदनलाल बंडी,
पता-13/1, नार्थ राज मोहल्ला,
इन्दौर, 452002 (म.प्र.).

(342-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरा नाम पूर्व में अमरजीत जाटव समस्त दस्तावेजों में अंकित है. अब दिनांक 05-06-2018 को जारी एफिडेविट द्वारा मेरा नाम परिवर्तन होकर अमरजीत परसैया पुत्र श्री सबरजीत सिंह हो गया है. अत: भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में अमरजीत परसैया पढ़ा एवं लिखा जावे एवं इसी नाम से मुझे जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(अमरजीत जाटव)

नया नाम :
(अमरजीत परसैया)
पुत्र श्री सबरजीत सिंह,
पता-वार्ड नं. 14, नई तहसील के सामने,
करैरा, शिवपुरी (म.प्र.).

(343-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री विधिति अग्रवाल पुत्री गिरराज शरण अग्रवाल कार्मल कान्वेन्ट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, लश्कर, ग्वालियर में कक्षा 10 में अध्ययनरत थी मेरी पुत्री की कक्षा 10वीं की इंटरनेट अंकसूची डाउनलोड करने के पश्चात् देखने से ज्ञात हुआ मेरी पुत्री की अंकसूची में मेरा नाम गिरराज एस. अग्रवाल अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण है. जबकि मेरा वास्तविक पूरा नाम गिरराज शरण अग्रवाल है व मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे पेनकार्ड, आधारकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, राशनकार्ड इत्यादि में मेरा पूरा नाम

गिरराज शरण अग्रवाल ही अंकित है. मुझे अपनी पुत्री विधिति अग्रवाल की कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम गिरराज एस. अग्रवाल के स्थान पर गिरराज शरण अग्रवाल करवाना है गिरराज एस. अग्रवाल व गिरराज शरण अग्रवाल एक ही व्यक्ति के नाम है. अत: भविष्य में मेरे एवं मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम गिरराज एस. अग्रवाल के स्थान पर गिरराज शरण अग्रवाल ही पढ़ा-लिखा व समझा जावे.

पुराना नाम :
(गिरराज एस. अग्रवाल)

नया नाम :
(गिरराज शरण अग्रवाल)
पुत्र श्री राजबहादुर अग्रवाल,
निवासी-एस. बी. आई. ए. टी. एम. के ऊपर,
दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(347-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम हेमा खानचंदानी था. जो कि विवाह के बाद आशिका लालवानी हो गया है. अत: भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(हेमा खानचंदानी)

नया नाम :
(आशिका लालवानी)
पति भारत लालवानी,
301, बी-ब्लॉक, रोहन रेसीडेंसी,
कनाडिया रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(349-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मुरलीधर सोलंकी एवं कुछ में प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप सोलंकी लिखा हुआ है. अत: मेरे, मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों के समस्त दस्तावेजों में मेरा एक ही नाम प्रदीप सोलंकी लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(मुरलीधर सोलंकी/प्रदीप कुमार)

नया नाम :
(प्रदीप सोलंकी)
141/1, श्रमिक कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.).

(350-बी.)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, before marriage my name was Deepika Phatnani but after marriage I have changed it from "Deepika Phatnani" to "Sneha Panjabi". Henceforth I shall be known as "Sneha Panjabi" for all purposes.

Old Name:
(DEEPIKA PHATNANI)
D/o TaraChand Phatnani.

New Name :
(SNEHA PANJABI)
W/o Ravi Panjabi,
234-B, Sudama Nagar,
Annapurna Road, Indore (M.P.)

(351-B.)

CHANGE OF NAME

I, Rekha Kumari Jethwani hereby declare that I have change my name as Heena Punjabi W/o Dileep Kumar Punjabi so, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:
(REKHA KUMARI JETHWANI)

New Name :
(HEENA PUNJABI)
W/o Dileep Kumar Punjabi,
Add-234-B, Sudama Nagar,
Annapurna Road, Indore (M.P.).

(352-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, SIDDHARTH MALVIYA S/o Shri Umesh Kumar Malviya मेरी कक्षा 10वीं सी. बी. एस. सी. बोर्ड की मार्कशीट में गलतीवश नाम SIDDHARHT MALVIYA हो गया है. मेरा सही नाम SIDDHARTH MALVIYA है. जिसे इसी नाम से पढ़ा जाये.

पुराना नाम :
(SIDDHARHT MALVIYA)

नया नाम :
(SIDDHARTH MALVIYA)
S/o Shri Umesh Kumar Malviya,
सी-46, कस्तूरबा नगर चेतक ब्रीज के पास,
भोपाल (म.प्र.).

(353-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती विनोदिनी शर्मा पत्नि स्व. श्री प्रेमनारायण शर्मा सेवानिवृत्त, सहायक स्टेशन मास्टर, आयु 89 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 4/79, प्रथमतल सांई कॉटेज के सामने जगदीश कॉलोनी गुना में विगत 38 वर्षों से निवास कर रहा हूँ. विवाह पूर्व में विनोद दुबे और विनोद भार्गव नामों से जानी जाती रही हूँ. विवाह उपरांत में विनोदिनी शर्मा पत्नि स्व. श्री प्रेमनारायण शर्मा के नाम से जानी जाती हूँ. विवाह के पश्चात् के समस्त अभिलेखों में मेरा नाम विनोदिनी शर्मा अंकित है. लिहाज मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना और पुकारा जाए. आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(विनोद दुबे और विनोद भार्गव)

नया नाम :
(विनोदिनी शर्मा)
पत्नि स्व. श्री प्रेमनारायण शर्मा,
वार्ड क्रमांक 4/79, प्रथमतल सांई कॉटेज के सामने,
जगदीश कॉलोनी, गुना.

(354-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे शासकीय दस्तावेजों व मार्कशीट में मेरा नाम अमर कुमार पुत्र श्री एस. पी. खरे था. जिसे मैं अब परिवर्तित कर अमर खरे पुत्र स्व. श्री शीतल प्रसाद खरे कर दिया है. अत: मुझे मेरे परिवर्तित नाम से ही जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(अमर कुमार)
पुत्र श्री एस. पी. खरे.

नया नाम :
(अमर खरे)
पुत्र स्व. श्री शीतल प्रसाद खरे,
निवासी-268, ई-8, त्रिलंगा,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

(355-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम LALITA DEVI था जो कि बदलकर LALITA DEVI AGARWAL हो गया हैं. भविष्य में मुझे मेरे नए नाम LALITA DEVI AGARWAL से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :
(LALITA DEVI)

नया नाम :
(LALITA DEVI AGARWAL)
पता-H. No. 29/30, Janki Nagar,
Chuna Bhatti, Bhopal (M.P.).

(356-बी.)

नाम परिवर्तन

कुमारी मलाइका क्षेत्री एतद्द्वारा उद्घोषित करती हूँ कि मेरी कक्षा 10वीं और 12वीं की अंकसूची में मेरा नाम मलाइका क्षेत्री अंकित है. जबकि मेरा उपनाम महताराक्षेत्री है.

अत: सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि अब मुझे मलाइका महताराक्षेत्री के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(मलाइका क्षेत्री)

नया नाम :
(मलाइका महताराक्षेत्री)
पता-म. नं. 18/1, आमबगिया पुलिस कॉलोनी,
जहाँगीराबाद, भोपाल.

(357-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम दस्तावेजों में लता भार्गव अंकित है जबकि कुछ दस्तावेजों में लता पाठक अंकित है. चूंकि मेरा विवाह श्याम पाठक पुत्र श्री हरीकिशन पाठक, निवासी चाणक्यपुरी, ग्वालियर के साथ दिनांक 23-11-2005 में हुआ था. विवाह के पूर्व मेरा नाम लता भार्गव पुत्री श्री रामलखन भार्गव, निवासी गली नं. 4, नहरवाली माता, नाकाचन्द्रवदनी, ग्वालियर के रूप में दस्तावेजों में अंकित था. परन्तु विवाह के उपरान्त मेरी पहचान लता भार्गव की जगह लता पाठक के रूप में हुई, क्योंकि मेरे पति का सरनेम पाठक होने की वजह है. लता भार्गव तथा लता पाठक उक्त दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं जो कि एक ही व्यक्ति है. अत: मुझे भविष्य में लता पाठक के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(लता भार्गव)

नया नाम :
(लता पाठक)
पत्नि श्री श्याम पाठक,
निवासी-चाणक्यपुरी, ग्वालियर.

(359-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ पद्मा कंस्ट्रक्शन जिसका पता 16, सराफा बाजार, जबलपुर मध्यप्रदेश है एवं पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00017/05, वर्ष 2005-06 दिनांक 06-05-2005 पंजीयन फर्म है, जिसमें दिनांक 06-05-2016 से लखन घनघोरिया पुत्र शिवलाल घनघोरिया, निवासी 349, खटीक मोहल्ला, सराफा वार्ड, जबलपुर, मध्यप्रदेश नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं. आमजन व सर्वजन सूचित हो.

दीपक चौकसे,
(अधिवक्ता)
म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर.
र. नं. 311.

(344-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. रॉयल सॉ मिल फर्म का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 07/33/05/00018/05, होकर सर्वे क्रमांक 567, प्लॉट क्र. 002 जूना नागदा रोड़ नागदा उक्त फर्म में 06-07-2018 से श्री राकेश पिता देवीलाल एवं दिनेश डाबी पिता देवीलाला डाबी को भागीदारी के रूप में फर्म में सम्मिलित किया गया है. सूचित हो.

मैसर्स रॉयल सॉ मिल,
उसमान अली,
(भागीदार)
नागदा.

(345-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. यूडीए वूड इन्डस्ट्रीज का रजिस्टेशन क्रमांक 07/33/05/00081/09, होकर सर्वे क्रमांक 566, प्लॉट क्र.05, उज्जैन जावरा बायपास मार्ग नागदा. उक्त फर्म में 13-04-2018 से श्री देवीलाल डाबी पिता रामलाल डाबी भागीदारी से पृथक् हो गए हैं. सूचित हो.

मैसर्स यूडीए वूड इन्डस्ट्रीज,
उसमान अली,
(भागीदार)
नागदा.

(346-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शर्मा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी स्थित 216, आदर्श कॉलोनी, स्टेशन रोड, सबलगढ़, जिला मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 27 जून, 1994 है. जिसमें दिनांक 01-04-2014 को भागीदार श्री नरेश शुक्ला पुत्र श्री मुरारीलाल शुक्ला एवं संजय शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2014 से आरती शर्मा पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, निवासी एम. एस. रोड, सबलगढ़, जिला मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं

एवं दिनांक 01-05-2017 से भागीदार (1) श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री पन्नालाल शर्मा, (2) मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री बुद्धीराम शर्मा, (3) बृजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा, (4) आरती शर्मा पुत्री श्री राजेन्द्र शर्मा अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—मैसर्स शर्मा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
राजेन्द्र प्रसाद,
(भागीदार)
मुरैना.

(348-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s CROWN INDUSTRIES" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/0548/2017, YEAR 2017-2018 Date of Registration 31/03/2017 undergone the following changes :-

1. That Shri Riyaz Ahmad Khan is also desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 22/06/2018.
2. That "M/s CROWN INDUSTRIES" shall be continued to carry on the business of Partnership firm at Plot No.116-A/1, "H" Sector, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) w.e.f. 22/06/2018.

M/s CROWN INDUSTRIES,
HABIB HUSAIN,
(Partner)
Plot No.116-A/1, "H" Sector,
Industrial Area, Govindpura,
Bhopal (M.P.).

(358-B.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2018

ई-निविदा की सूचना

क्र./जी.बी.05(19)2015/2055.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल के अधीनस्थ शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा की मशीनों/उपकरणों की आफसेट मूल्य पर दर आमंत्रित की जाती हैं. इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी, शर्तें एवं मशीनों/उपकरणों के निरीक्षण हेतु नियंत्रक/उप नियंत्रक केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा से कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उक्त ई-निविदा सूचना को विभाग की बेवसाइट *www.govtpressmp.nic.in* एवं *https//mpeproc.gov.in* पर अवलोकन किया जा सकता है.

किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना *www.govtpressmp.nic.in* एवं *https//mpeproc.gov.in* पर उपलब्ध रहेगी.

(770)

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई, 2018

निष्प्रयोजित घोषित वाहन की निविदा की सूचना

क्र./जी.बी.05(09)2017/1967.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल का वाहन क्रमांक एम.पी. 02-0786 इंडिका कार को निष्प्रयोजित किया गया है, वाहन जिस हालत में है उसी हालत में निविदा हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं. इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी, निविदा की शर्तें एवं वाहन के निरीक्षण हेतु नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल में कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं अथवा उक्त निविदा सूचना को विभाग की बेवसाइट *www.govtpressmp.nic.in* पर अवलोकन किया जा सकता है.

विलास मंथनवार,
उप नियंत्रक,
वास्ते नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश भोपाल.

(771)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पंजीयक, लोक न्यास उपखण्ड गरोठ, जिला मंदसौर

प्र.क्र./बी-113/2017-18.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक/रीडर-1/18 आवेदक श्री नवल कुमार चौरडिया एवं श्री सुधिर जैन, निवासी कस्बा भानपुरा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा (1951 की 30) की धारा -4 के अधीन अनुसूचि में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ती के पंजीयन हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है. अत: एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक..... 2018 को विचार के लिए दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या विनिर्दिष्ट सम्पत्ती में हित रखता हो या उक्त न्यास के पंजीयन में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, उपखण्ड , गरोठ, जिला मंदसौर उक्त लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक..... 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यह आपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति या सुझाव को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मय दस्तावेज प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को व्यक्तिश: या वैध अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ती के पश्चात प्राप्त आपत्ति अथवा सुझाव आदि को ग्रहण करने पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूचि

लोक न्यास का नाम और पता :- श्री भलवाडा पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ ट्रस्ट औसवाल मोहल्ला कस्बा/ तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.)

लोक न्यास की सम्पत्ती का विवरण :-

चल सम्पत्ती

1. नगदी निरंक
2. मंदिर के चांदी के आभूषण वजन लगभग किलो 2 (छत्र, मुकुट, कण्डी, चेन, अंगी)

अचल सम्पत्ती

क्रमांक	विवरण
1.	श्री भलवाडा पार्श्वनाथ मंदिर, औसवाल मोहल्ला भानपुरा नगर पंचायत भवन क्र. 1521.
2.	श्री जयानंद भवन (नेहरा), नगर पंजायत भवन क्र. 1522.
3.	पांच दूकाने, धानमण्डी भानपुरा नगर पंचायत भवन क्र.1524,1525,1533.
4.	भोजाजी महाराज की छत्री, नगर पंचायत भवन क्र. 1389.
5.	लाल भेरूजी की छत्री, नगर पंचायत भवन क्र. 1243.

आर.पी.वर्मा,
पंजीयक
एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व).

(719)

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी मन्दसौर, जिला मंदसौर

प्र.क्र.बी-113(1)2017-18.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम,1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर जिला मन्दसौर के समक्ष.

चूंकि श्रीकृष्ण कामधेनू सामाजिक, धार्मिक लोक न्यास समिति द्वारा अध्यक्ष दिनेश पिता फुलशंकरजी नागर निवासी 20 शांतिदीप सिद्धचक्र कॉलोनी, नरसिंहपुरा मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक..... को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अत: मैं, एस.एल.शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक.....को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं. अत: एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिश: अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	:	श्रीकृष्ण कामधेनू सामाजिक, धार्मिक लोक न्यास समिति.
कार्यालय का पता	:	20, शांतिदीप सिद्धचक्र कॉलोनी नरसिंहपुरा, मन्दसौर (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया करंट खाता में 26,278 नकद जमा.

(726)

प्र.क्र.बी-113(1)2017-18.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम,1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक,लोक न्यास, मन्दसौर जिला मन्दसौर के समक्ष.

चूंकि शिवना एरिया वाटर पार्टनशीप ट्रस्ट मन्दसौर द्वारा अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह पिता मोहनलाल सिपानी, नई आबादी मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद द्वारा सूचना दी जाती है. कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ती में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अत: मैं, एस.एल.शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक..... को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिश: अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	:	शिवना एरिया वाटर पार्टनशीप ट्रस्ट, मन्दसौर.
कार्यालय का पता	:	नई आबादी, मन्दसौर (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

(727)

प्र.क्र.बी-113(1)2017-18.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम,1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक,लोक न्यास, मन्दसौर जिला मन्दसौर के समक्ष.

चूंकि औदिच्य ब्राम्हण समाज छोटी सम्भा, जिला मन्दसौर द्वारा अध्यक्ष दिनदयाल पिता शिवशंकर जी ब्राम्हण, निवासी नौगांव, तहसील व जिला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 01/10/2016 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अत: मैं, एस.एल.शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक,अपने न्यायालय में दिनांक.....को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं. अत: एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिश: अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	:	औदिच्य ब्राम्हण समाज छोटी सम्भा जिला मन्दसौर.
कार्यालय का पता	:	नौगांवा तहसील, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	कस्बा मन्दसौर स्थित सर्वे नं. 3220/1 क्षेत्रफल 0.105 आरी अनुमानित रूपये 50,00,000/- पचास लाख रूपये.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

(728)

प्र.क्र.बी-113(1)2017-18.

नियम-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम,1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक,लोक न्यास, मन्दसौर जिला मन्दसौर के समक्ष.

चूंकि अखिल भारतीय आचार्य ब्राम्हण समाज विकास संगठन, धर्मशाला सुदर्शन कॉलोनी वार्ड नं. 26, बगुलामुखी पिताम्बर पीठ मंदिर

के सामने मन्दसौर द्वारा अध्यक्ष ज्वालाप्रसाद शर्मा पिता लक्ष्मीलाल शर्मा निवासी सीतामऊ एवं दयाशंकर शर्मा पिता रतनलाल शर्मा, निवासी एच.आई.जी. 5, गांधी नगर, मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951(1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अत: मैं, एस.एल.शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 अगस्त, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं. अत: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिश: अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	:	अखिल भारतीय आचार्य ब्राहम्ण समाज विकास संगठन.
कार्यालय का पता	:	एच.आई.जी. 5 गांधी नगर, मन्दसौर (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	पशुपतिनाथ मंदिर से 1500 फीट प.ह.नं. 13 मन्दसौर स्थित सर्वे नं. 2955 रकबा 0.037 आरी वर्तमान अनुमानित कीमत:- 16,00,000/- सोलह लाख रूपये.
चल सम्पत्ति	:	नगदी रूपये 46,886/-

एस.एल.शाक्य,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(729)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, एम.पी.नगर वृत्त भोपाल

प्र.क्र. 07/बी-113/2017-18.

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2018

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिल भोपाल.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक न्यासी श्री बिरकेश्वर सिंह आ. श्री गोरखनाथ सिंह, निवासी-सीनियर एचआईजी-254, कटारा हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा न्यायालय में गायत्री परिवार ट्रस्ट, बरखेडा भोपाल पता-गायत्री प्रज्ञापीठ ई-सेक्टर बरखेडा भोपाल के मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2018 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें, अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	:	गायत्री परिवार ट्रस्ट, बरखेडा भोपाल.
कार्यालय का पता	:	गायत्री प्रज्ञापीठ ई-सेक्टर, बरखेडा भोपाल (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	निरंक

(720)

प्र.क्र. 07/बी-113/2017-18.

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2018

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिल भोपाल.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक न्यासी श्री राकेश कुमार रॉय आ. स्व. श्री रामानंद रॉय निवासी प्लाट नंबर 133-ए विपिन गार्डन एक्सटेंशन नई दिल्ली पत्राचार

का पता 75 अनुपम नगर पिपलानी भेल भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा न्यायालय में हेमान्या आर्ट फाउण्डेशन कार्यालय 75,अनुपम नगर, पिपलानी भेल, भोपाल के मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2018 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें, अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	:	हेमान्या आर्ट फाउण्डेशन,
कार्यालय का पता	:	75 अनुपम नगर पिपलानी भेल भोपाल (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	निरंक

मनोज उपाध्याय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(721)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना जिला के समक्ष.

यत: कि श्री स्वामी संतशरण निवासी ग्राम शुक्ला तहसील रघुराजनगर जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 08 अगस्त, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता	:	अनन्त श्री विभूषण स्वामी संतशरण जू महाराज सेवा निजी न्यास. ग्राम शुक्ला बरदाडीह, तहसील रघुराजनगर.
2. अचल सम्पत्ति	:	ग्राम शुक्ला में आ.नं.78/3 रकबा 1.01 एकड़ आ.नं. 84/2 रकबा, 0.13एकड, 85/2 रकबा 0.38 एकड़.
3. चल सम्पत्ति	:	5,00,000.00 रुपये.

प्रारूप-5

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष.

अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, बलवीर रमण, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 08 अगस्त, 2018 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास की सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 08 अगस्त, 2018 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

बलवीर रमण,

(722) अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग, जिला जबलपुर

रा.प्र.कमांक 21/बी-113/2017-18.

प्रारूप-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदन ट्रस्ट श्रवण संस्कृति सेवा ट्रस्ट फ्लेट नं. 11 अनुश्री अपार्टमेंट गोलबाजार शहीद स्मारक महाकोशल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास, जबलपुर द्वारा नरेन्द्र कुमार जैन पिता स्व. श्री मूलचंद जैन, के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के नियम-4 के अधीन नीचे अनुसूचित में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसमें न्यासियों का नाम एवं पता तथा निर्धारित पद निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम/पिता का नाम	पता	पद
1.	इंजी. नरेन्द्र कुमार जैन पिता स्व. श्री मूलचंद जैन	11 अनुश्री अर्पाटमेंट, गोलबाजार, जबलपुर (म.प्र.)	अध्यक्ष
2.	डॉ. सुरेश चंद जैन पिता स्व. श्री रामलाल जैन	267, सतना बिल्डिंग, गोलबाजार, जबलपुर (म.प्र.)	सचिव
3.	श्री मुकेश जैन पिता श्री मानिक चंद जैन	159, जैन मंदिर मार्ग, संगम कालौनी,जबलपुर (म.प्र.)	उपाध्यक्ष
4.	श्रीमति सुनीता जैन पत्नि श्री प्रदमन कुमार जैन	1068 केषरवानी कालेज मार्ग,गोलबाजार ,जबलपुर (म.प्र.)	सहसचिव
5.	श्री अभय जैन पिता स्व. श्री कोमलचंद जैन	643, अलका बिल्डिंग, गोलबाजार ,जबलपुर (म.प्र.)	कोषाध्यक्ष

अत: एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 25 जुलाई 2018 को विचार के लिये नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है,अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1.	लोक न्यास का नाम एवं पता	:	श्रवण संस्कृति सेवा ट्रस्ट फ्लेट नं. 11 अनुश्री अपार्टमेंट गोलबाजार, शहीद स्मारक महाकोशल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास, जबलपुर.
2.	न्यास की आय का साधन	:	दान एवं चंदे के द्वारा.
3.	चल सम्पत्ति	:	निरंक.
	अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

जारी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

मुनीष सिंह सिकरवार,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(723)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, रा. परि. टी. टी. नगर, भोपाल

प्र.क्र.152/बी-121/2017-18.

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत्]

जैसा कि (नीरज बूलचंदानी एवं बेबी मुस्कान मेमोरियल चेरिटेबिल ट्रस्ट) द्वारा श्री रामशरण सलूजा ट्रस्टी एवं चेयरमेन द्वारा-नीरज बूलचंदानी एवं बेबी मुस्कान मेमोरियल चेरिटेबिल ट्रस्ट, ए-116, शाहपुरा, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत् एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट में किये गये बदलाव ट्रस्ट के पूर्व सदस्य श्रीमती पुष्पा बूलचंदानी द्वारा त्याग-पत्र देने से उनके स्थान पर श्रीमती शक्ति जिंदल का नाम ट्रस्ट में जोड़े जाने की सूचना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 22 जून, 2018 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों. वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	नीरज बूलचंदानी एवं बेबी मुस्कान मेमोरियल चेरिटेबिल ट्रस्ट.
2. अचल संपत्ति	:	निल.
3. चल संपत्ति	:	निल.

आज दिनांक 08 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

संजय कुमार श्रीवास्तव,

(725) अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पब्लिक रजिस्टार, भिण्ड

प्र.क्र. 01/बी-113/2017-18. भोपाल, दिनांक 13 जून, 2018

फार्म-4

[नियम (11) देखिए]

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 में नियम 5(1) के अन्तर्गत जैसा कि अध्यक्ष,अशोक कुमार जैन श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, वल्लभपुर, बरही द्वारा श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, वल्लभपुर, बरही जिला भिण्ड के नाम से पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया.

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2018 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपयुक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	:	श्री 1008 अजितनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, प्रबन्धकारणी, न्यास बरही (वल्लभपुर) बरही, जिला भिण्ड.
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम बरही में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 102 रकबा 0.14, 121 रकवा 0.02 में से हिस्सा रकवा 0.01, 122 रकवा 0.31, 123 रकवा 0.30 में हिस्सा रकवा 0.225, 124 रकवा 0.35 में से हिस्सा रकवा 0.28, 306 रकवा 0.95 कुल किता 06 कुल रकवा 1.915 हैक्टर है. जिस पर 20 कमरे निर्माणधीन है, 100 फुट व्यास का 20 फुट ऊंचा पहाड़ निर्माणधीन होकर निकट भविष्य में पूर्णता की ओर है.

जिसमें श्री 1008 भगवान अजितनाथ की 19 फीट 4 इंच की पदमासन भूमि एवं 2 फुट का कमल पहाड़ पर स्थिति है.

चल सम्पत्ति : न्यास का बैंक खाता सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा फूफ में है जिसका खाता क्रमांक 2002751010004538 है उक्त खाता में 17,823/- जमा है.

संतोष तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं रजिस्ट्रार.

(724)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 11 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत्]

क्र./परि./2018/1129.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2175, दिनांक 17 सितम्बर, 2013 द्वारा विवेक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 85, दिनांक 18 जून, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ. कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(730)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत्]

क्र./सं.पं.ज./विधि/2018/1075.—समय क्रेडिट को-ओपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर पंजयीन क्रमांक 19, दिनांक 28 फरवरी, 2013 को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1751, जबलपुर दिनांक 15 नवम्बर, 2016 से वर्ष 2016-17 एवं पत्र क्रमांक 1792, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 से वर्ष 2917-18 का अंकेक्षण हेतु आदेश जारी किया किन्तु आज दिनांक तक संस्था द्वारा अंकेक्षण नहीं कराया गया. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-56 के तहत् वित्तीय वर्ष समाप्ति के 06 माह में वार्षिक आमसभा किया जाकर एक माह के भीतर विवरणी प्रस्तुत किया जाना था. किन्तु आज दिनांक तक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई साथ ही संस्था के अमानतदार सदस्यों द्वारा शिकायत की जा रही है कि उनकी अमानत राशि आपके द्वारा वापस नहीं कि जा रही है जो कि आर्थिक अपराध के तहत् अमानत में खयानत किया जाना प्रतीत होता है. संस्था द्वारा अपने पंजीयन पते में परिवर्तन किया गया है किन्तु इस कार्यालय को आज दिनांक तक इस कार्यालय को कोई जानकारी नहीं दी गई है. इससे भी यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम के पालन करने में चूक की है.

शिकायत के तथ्यों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को संज्ञान में आने से समय क्रेडिट को-ओपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर पंजीयन क्रमांक 19, दिनांक 28 फरवरी, 2013 को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/संपंज/विधि/2018/385 जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2018 को जारी किया जाकर गजट नोटीफिकेशन हेतु शासकीय मुद्रणालय, ग्वालियर को

पत्र क्रमांक 625, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को लिखा गया किन्तु समिति के पदाधिकारी एवं संचालकों द्वारा जवाब एक माह पश्चात् भी प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे यह स्पष्ट है कि संस्था पदाधिकारियों को शिकायत के तथ्य स्वीकार हैं. संस्था द्वारा धारा-58 के तहत् जारी अंकेक्षण आदेश का भी पालन नहीं किया गया है. संस्था द्वारा अधिनियम की धारा-56 के तहत् समयावधि में विवरणियां भी प्रस्तुत नहीं की गई है. संस्था में गंभीर आर्थिक अनियमितताएं किये जाने एवं अमानत में खयानत होना परिलिक्षित होता है. ऐसी स्थिति में संस्था पंजीयन की शर्तों एवं अधिनियम, के प्रावधानों का पालन करने में चूक किया जाना पाया जाता है. अत: संस्था की कार्यविधि से मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, पी. एस. तिवारी, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जबलपुर संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुये समय क्रेडिट को-ओपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर पंजयीन क्रमांक 19, दिनांक 28 फरवरी, 2013 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री आर. के. मेहता, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. मेहता, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 11 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

पी. एस. तिवारी,
संयुक्त पंजीयक.

(731)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 09 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(ए/क) के अन्तर्गत्]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

मजदूर किसान सहकारी समिति, मर्या., जावरा.

द्वारा:-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी.

पता:-मजदूर किसान सहकारी समिति मर्या., जावरा.

क्र./परि./2018/1219.—मजदूर किसान सहकारी समिति मर्या., जावरा, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक सम.परि./38, दिनांक 27 मई, 2013 है. जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला रतलाम द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2018 को पत्र से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला रतलाम मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मजदूर किसान सहकारी समिति मर्या., जावरा, जिला रतलाम का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(732)

रतलाम, दिनांक 09 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(ए/क) के अन्तर्गत्]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

गणेश लेबर कान्ट्रेक्टर सहकारी संस्था, मर्या., जावरा.

द्वारा:-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी.

पता:-गणेश लेबर कान्ट्रेक्टर सहकारी संस्था, मर्या., जावरा.

क्र./परि./2018/1220.—गणेश लेबर कान्ट्रेक्टर सहकारी संस्था, मर्या., जावरा, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक सम.परि./1000, दिनांक 01 मई, 2015 है. जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला रतलाम द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2018 को पत्र से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला रतलाम मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गणेश लेबर कान्ट्रेक्टर सहकारी संस्था, मर्या., जावरा, जिला रतलाम का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(733)

रतलाम, दिनांक 09 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(ए/क) के अन्तर्गत्]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह सहकारी संस्था मर्या., रतलाम.

द्वारा:-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी.

पता:-आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह सहकारी संस्था मर्या., रतलाम.

क्र./परि./2018/1221.—आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक सम.परि./39, दिनांक 27 मई, 2013 है. जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला रतलाम द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2018 को पत्र से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला रतलाम मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह सहकारी

संस्था मर्या., रतलाम, जिला रतलाम का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(734)

रतलाम, दिनांक 09 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(ए/क) के अन्तर्गत्]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

प्रजापति ईट निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बांगरोद.

द्वारा:-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी.

पता:-प्रजापति ईट निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बांगरोद.

क्र./परि./2018/1222.—प्रजापति ईट निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बांगरोद, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक सम.परि./883/1, दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 है. जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला रतलाम द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2018 को पत्र से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला रतलाम मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रजापति ईट निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बांगरोद, जिला रतलाम का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(735)

रतलाम, दिनांक 09 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(ए/क) के अन्तर्गत्]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

विशालक्षी साख सहकारी संस्था मर्या., जावरा.

द्वारा:-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी.

पता:-विशालक्षी साख सहकारी संस्था मर्या., जावरा.

क्र./परि./2018/1223.—विशालक्षी साख सहकारी संस्था मर्या., जावरा, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक सम.परि./963, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 है. जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला रतलाम द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2018 को पत्र से अवगत कराया है कि संस्था अपनी

पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला रतलाम मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशालक्षी साख सहकारी संस्था मर्या., जावरा, जिला रतलाम का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(736)

रतलाम, दिनांक 09 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(ए/क) के अन्तर्गत्]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमलखेड़ी.

द्वारा:-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी.

पता:-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमलखेड़ी.

क्र./परि./2018/1224.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमलखेड़ी, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 888, दिनांक 13 जून, 2011 है. जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला रतलाम द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2018 को पत्र से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला रतलाम मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमलखेड़ी, जिला रतलाम का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(737)

रतलाम, दिनांक 09 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(ए/क) के अन्तर्गत्]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., अन्याखेड़ी.

द्वारा:-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी.

पता:-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., अन्याखेड़ी.

क्र./परि./2018/1225.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., अन्याखेड़ी, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 962, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 है. जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला रतलाम द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2018 को पत्र से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला रतलाम मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., अन्याखेड़ी, जिला रतलाम का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(738)

रतलाम, दिनांक 09 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(ए/क) के अन्तर्गत्]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., खेताखेड़ी.

द्वारा:-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी.

पता:-महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., खेताखेड़ी.

क्र./परि./2018/1226.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., खेताखेड़ी, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 942, दिनांक 28 मार्च, 2014 है. जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला रतलाम द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2018 को पत्र से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला रतलाम मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., खेताखेड़ी, जिला रतलाम का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(739)

रतलाम, दिनांक 09 जुलाई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(ए/क) के अन्तर्गत्]

प्रति,

समस्त सदस्यगण,

आदर्श नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., बांगरोद.

द्वारा:-अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी.

पता:-आदर्श नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., बांगरोद.

क्र./परि./2018/1227.—आदर्श नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., बांगरोद, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक सम.परि./08, दिनांक 27 मई, 2013 है. जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, के द्वारा जिस प्रयोजन के लिये उसका पंजीयन किया गया था. उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला रतलाम द्वारा दिनांक 03 जुलाई, 2018 को पत्र से अवगत कराया है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं कराते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार कार्य नहीं कर रही है.

इससे स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है एवं पूर्णत: अकार्यशील प्रतीत होती है. जिस प्रयोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला रतलाम मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., बांगरोद, जिला रतलाम का पंजीयन निरस्त करने से पूर्व इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न उक्त संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (ए/क)(1) के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाये.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

परमानंद गोडरिया,
उपायुक्त सहकारिता.

(740)

कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/918.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिम्बई जिसका कि पंजीयन क्रमांक 371, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1171, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिम्बई को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री आर. के. महाजन, दुग्ध सुपरवायजर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. महाजन, दुग्ध संघ सुपरवायजर एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(742)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/919.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,भगवानपुरा जिसका कि पंजीयन क्रमांक 372, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1172, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगवानपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री आर. के. महाजन, दुग्ध सुपरवायजर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. महाजन, दुग्ध सुपरवायजर एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(743)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/920.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,किरमोही जिसका कि पंजीयन क्रमांक 376, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1173, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किरमोही को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री आर. के. महाजन, दुग्ध संघ सुपरवायजर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. महाजन, दुग्ध संघ सुपरवायजर एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(744)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/922.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलगोन (राजपुर) जिसका कि पंजीयन क्रमांक 218, दिनांक 05 जुलाई, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1168, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलगोन (राजपुर) को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री व्ही.के.गुप्ता, स. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही.के. गुप्ता, स.निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(746)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/923.—माँ भगवती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोनसराखुर्द, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 479, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1166, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त माँ भगवती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोनसराखुर्द को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. रातोले, व. स. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. एस. रातोले, व. स. निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(747)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/924.—वसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलबाड़ा बुजुर्ग, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 429, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1164, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त वसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलबाड़ा बुजुर्ग को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, स. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र सिरसाट, स. निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(748)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/925.—श्री राधे साख सहकारी संस्था मर्या., अंजड़, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 433, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1178, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त श्री राधे साख सहकारी संस्था मर्या., अंजड़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अशोक कांग, स. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक कांग, स. निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(749)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/926.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलाज, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 26 नवम्बर, 1981 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1179, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलाज को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस.बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस.बी.कटारे, अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(750)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/927.—माँ रेवा क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बडवानी, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 432, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1175, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त माँ रेवा क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बडवानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति प्रभा बघेल, स.निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमति प्रभा बघेल, स.निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधि नियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(751)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/928.—श्री कृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., बडवानी, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 484, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1161, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त श्री कृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., बडवानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. जामरे, व. स. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. जामरे, व. स. निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(752)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/929.—न्यू श्री नाथ साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 459, दिनांक 05 फरवरी, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1156, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त न्यू श्री नाथ साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. दशोरे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. सी. दशोरे, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(753)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/930.—सत्य सांई साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 440, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1157, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त सत्य सांई साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. दशोरे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. सी. दशोरे, , उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(754)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/931.—श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 486, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1158, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति प्रभा बघेल, सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमति प्रभा बघेल, सह. निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(755)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/932.—श्री काका साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1159, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त श्री काका साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत बी. एल. जामरे, व. सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. जामरे, व. सह. निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(756)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/933.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोझानी, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 214, दिनांक 26 मार्च, 2017 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1167, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोझानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत व्ही. के. गुप्ता, सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. गुप्ता, सह. निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(757)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/934.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोन्सराखुर्द, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 244, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1169, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोन्सराखुर्द को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(758)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/935.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहीपुरा, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 304, दिनांक 30 मार्च, 2012 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1170, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहीपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. महाजन, दुग्ध सुपर वाईजर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. महाजन, दुग्ध सुपरवाईजर एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(759)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/921.—रैदास दलित वर्ग क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 382, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1174, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त रैदास दलित वर्ग क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अशोक कांग, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक कांग, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(745)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/936.—श्री सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 457, दिनांक 05 फरवरी, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1151, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त श्री सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(760)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/937.—राधे-राधे साख सहकारी संस्था मर्या., ठीकरी जिसका कि पंजीयन क्रमांक 413, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1150, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त राधे-राधे साख सहकारी संस्था मर्या., ठीकरी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र सिरमार, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(761)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/938.—विश्वास साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी जिसका कि पंजीयन क्रमांक 446, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1153, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त विश्वास साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति प्रभा बघेल, सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमति प्रभा बघेल, सह. निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(762)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/939.—माँ शारदा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी जिसका कि पंजीयन क्रमांक 474, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1147, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त माँ शारदा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. रावत, सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एस. रावत, सह. निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(763)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/940.—कृष्णा साख., सहकारी संस्था मर्यादित अंजड़ जिसका कि पंजीयन क्रमांक 434, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1148, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्या., अंजड़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(764)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/941.—आश्रय साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी जिसका कि पंजीयन क्रमांक 455, दिनांक 05 फरवरी, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1149, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त आश्रय साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(765)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/942.—दि सुरेश संचेली साख सहकारी संस्था मर्या., खेतिया जिसका कि पंजीयन क्रमांक 430, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1144, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त दि सुरेश संचेली साख सहकारी संस्था मर्या., खेतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. तरोले, व. स. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. एस. तरोले, व. स. निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(766)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/943.—श्री गिनारा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी जिसका कि पंजीयन क्रमांक 389, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1146, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त श्री गिनारा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(767)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/944.—एक्रोमा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी जिसका कि पंजीयन क्रमांक 314, दिनांक 16 जुलाई, 2012 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1143, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त एक्रोमा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(768)

बड़वानी, दिनांक 06 जुलाई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/945.—जिला स्वास्थ कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी जिसका कि पंजीयन क्रमांक 63, दिनांक 17 सितम्बर, 2002 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2018/1142, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. संस्था के प्रशासक द्वारा लिखित में अवगत कराया कि संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जावे. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतित होता है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए, उक्त जिला स्वास्थ कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

जे. एल. बर्डे,
उपायुक्त सहकारिता
एवं प्रभारी सहायक आयुक्त सहकारिता.

(769)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त, 2018-श्रावण 12 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्राय: मौसम शुष्क रहा है. तथा राज्य के बैतूल व जबलपुर जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 01 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील बैतूल, भैसदेही, घोडाडोगरी, आमला (बैतूल), कुण्डम (जबलपुर), में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:- तहसील शाहपुर, चिचौली आठनेर (बैतूल), में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक:- तहसील मुलताई, (बैतूल) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई.**- . .

3. **बोनी.**- . .

4. **फसल स्थिति**- . .

5. **कटाई.**- जिला डिंडोरी मे तुअर जिला शिवनी में चना, मसूर जिला आगर, धार में गेहूँ चना एवं जिला सीधी, उज्जैन, शाजापुर, इन्दौर, बुरहानपुर, व सीहोर में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

6. **सिंचाई.**- जिला शिवपुरी, टीकमगढ, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, विदिशा, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **चारा.**- राज्य के जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **बीज.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .		4. (1) गेहूँ, सरसों, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मेंथी, मटर, मसूर, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
9. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मटर-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गन्ना, चना अधिक. गेहूँ, मटर, समान. सरसों, मटर, जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अर्याप्त	7. पर्याप्त
1. शिवपुरी	. .		4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद चारा अपर्याप्त	8. पर्याप्त
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. *जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		. .		
3. अशोकनगर	. .		(2) . .		
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनियां मसूर सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) चना, मटर, राई-सरसों, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. लवकुश नगर	. .				
10. धुवारा	. .				
11. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) तुअर, अलसी, मटर, बटरी, अधिक. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, आलू कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, अधिक. मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4.(1) चना, मसूर, राई-सरसों, अधिक. गेहूँ, मटर, अलसी, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, अलसी, जौ समान. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर, अधिक. गेहूँ, जौ कम	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त. चारा पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, मसूर, अलसी, जौ, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर समान. तुअर, चना, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू हैं.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, चना, जौ, मसूर अधिक. अलसी, राई-सरसों समान. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) गेहूँ सुधरी हुई. शेष फसलें समान.		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4.(1) चना, मसूर, अधिक. राई-सरसों समान. गेहूँ, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4.(1) चना अधिक. गेहूँ कम. सवां समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. ताल	. .				
6. रावटी	. .				
7. पिपलोदा	. .				
8. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. रबी फसल कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) चना, मसूर, अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, व चना के कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	. .		4.(1)चना-अधिक. गेहूँ, लहसुन, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बडौदिया	. .				
7. गुलाना	. .				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4.(1) चना, मूँग, रबी, राई-सरसों, मटर, मसूर, अधिक. गेहूँ कम है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. हाटपिपल्या	. .				
7. सतवास	. .				
8. उदयनगर	. .				
9. खातेगांव	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) चना, मक्का, अधिक. गेहूँ, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
30.जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1)चना, अलसी अधिक, गेहूँ , राई-सरसों, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2)उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1)कपास, चना, अलसी अधिक. तुअर, गेहूँ, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) चना, मसूर, अधिक. गेहूँ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) गेहूँ एवं चना फसल समान है.		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना का कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4.(1) गेहूँ, चना कम है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2)उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ कम चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) गेहूँ समान. चना फसल, सुधरी हुई है.		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7.पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8.पर्याप्त.
2. बैरागड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) चना, अधिक. गन्ना-समान, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. इच्छावर	. .				
4. नसरूल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख, अलसी, राई-सरसो समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. बैतूल	14.8		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	13.7		(2)उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. घोड़ाडोंगरी	9.8				
4. शाहपुर	20.7				
5. चिचोली	18.2				
6. मुलताई	39.1				
7. आठनेर	24.8				
8. आमला	15.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगडी हुई हैं		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43.*जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गेहूँ चना, मटर अधिक. मसूर, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	17.4		(2) गेहूँ, सुधरी हुई हैं. शेष फसलें बिगड़ी हुई हैं.		
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) तुअर, गेहूँ, समान. चना, मसूर, राई-सरसों बिगड़ी, हुई हैं.		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी). .					
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. नरसिंहपुर	. .			6. . .	8. . .
2. गोटेगांव	. .		4. (1) . .		
3. करेली	. .				
4. गाडरवारा	. .		(2) . .		
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	. .		4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ, मटर, तिवड़ा, राई-सरसों, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	. .				
3. बिछिया	. .				
4. निवास	. .		(2)उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
5. नारायणगंज	. .				
6. घुघरी	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. तुअर कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4.(1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .				
3. बजाग	. .		(2)उपरोक्त फसलें समान हैं.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. तामिया	. .		(2) गेहूँ सुधरी हुई हैं चना, समान हैं.		
3. परासिया	. .				
4. जुन्नारदेव (जामई)	. .				
5. सांसर	. .				
6. बिछुआ	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. उमरेठ	. .				
10. मोहखेड	. .				
11. हर्रई	. .				
12. चांद	. .				
13. पांढुर्णा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. चना, मसूर की कटाई चालू है	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .			6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अधिक. मटर, मसूर, उड़द, रबी, मूँग, रबी समान. लाख कम.		
3. कुरई	. .				
4. केवलारी	. .				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
7. घनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) धान, रबी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) धान समान.		
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्रा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलांजी	. .				

नोट-: जिला अशोकनगर, हरदा, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(718)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.